भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4101

जिसका उत्तर गुरुवार, 07 अप्रैल, 2022 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में सुविधाएं

4101 श्री अबीर रंजन बिस्वास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने न्यायालय परिसरों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय, पेयजल सुविधाएं और मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं मौजूद नहीं हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 2017 से अब तक न्यायालय परिसरों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित और उपयोग की गई है ;

(ग) वर्ष 2017 से अब तक वर्ष-वार और राज्य-वार कितने न्यायालय परिसरों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है ;

(घ) किराए के कक्षों में राज्य-वार कितने न्यायालय कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) वर्ष 2017 से अब तक वर्ष-वार कितने नए न्यायालय कक्ष निर्मित किए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ड़) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति पर डाटा संकलित किया है जिसके अनुसार 26% न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं है और 16% न्यायालय परिसरों में पुरुषों के लिए शौचालय नहीं है, 54% न्यायालय परिसरों में प्यूरिफायर के साथ पीने का पानी और 5% मूलभूत बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से सज्जित है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों के साधनों को बढ़ाने के लिए, संघ सरकार विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचना सुविधाओं के

विकास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को क्रियान्यवित किया जा रहा है। इस स्कीम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और निवास स्थानों के संनिर्माण के लिए निधियां जारी की गई है। यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है। अब तक, केंद्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्कीम के अधीन 9,009 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं जिसमें से 2014-15 से अब तक 5,565 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं जो इस स्कीम के अधीन कुल जारी किए जाने का लगभग 61.77 फीसदी है। स्कीम समय-समय से बढा दी जाती है। स्कीम 2017 में 01.04.2017 से 31.03.2020 से 3 वर्ष के लिए 3,320 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पूर्व में बढा दी गई थी। इस स्कीम को फिर से एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.03.2021 तक बढा दिया गया था । इस स्कीम का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया गया था जिसने इसे जारी करने की सिफारिश की थी । सरकार ने कुल 9000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय के साथ 01.04.2021 से 31.03.2026 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए इस सीएसएस को जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसमें 5,307 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा सम्मिलित है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉल के निर्माण को भी कवर करने के लिए स्कीम के घटकों का विस्तार किया गया है। 2017 से राज्यों को आबंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियां क्रमश: **उपाबंध-1** और **उपाबंध-2** पर है।

उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार तारीख 31.03.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या 24,521 और कार्यरत पद संख्या 19,341 के विरुद्ध 20,812 न्यायालय हॉल (578 किराये वाले सहित) और 18,338 वास इकाईयां उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त, 2767 न्यायालय हॉल और 1651 वास इकाईयां निर्माणाधीन हैं । अत: यह देखा जा सकता है कि वर्तमान में उपलब्ध न्यायालय हॉल की संख्या वर्तमान कार्यरत पदसंख्या से अधिक है, किंतु न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पदसंख्या से कम है। किराये के हॉल से कार्य करने वाले न्यायालय का राज्यवार विवरण **उपाबंध-3** पर है और 2017 से पूर्ण किए गए न्यायालय हॉल का राज्यवार विवरण **उपाबंध-4** पर है।

****

उपाबंध-1

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 जिसका उत्तर 07.04.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्र. सं.	राज्य	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां					कुल
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	आंध्र प्रदेश	0.00	1000.00	2000.00	1028.00		**4028.00**
2	बिहार	4290.00	6204.00	8762.00	6572.00		**25828.00**
3	छत्तीसगढ	0.00	1968.00	1983.00	784.00		**4735.00**
4	गोवा	0.00	315.00	406.00	380.00	320.00	**1421.00**
5	गुजरात	5000.00	1502.00	1649.00	1350.40		**9501.40**
6	हरियाणा	1500.00	1191.00	1406.00	2200.00		**6297.00**
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	408.00	572.00	550.00		**1530.00**
8	जम्मू - कश्मीर	1000.00	1901.00	1000.00	0.00		**3901.00**
9	झारखंड	5000.00	959.00	1374.00	905.00	600.00	**8838.00**
10	कर्नाटक	5000.00	3812.00	4404.00	2972.00	2700.00	**18888.00**
11	केरल	2500.00	3082.00	1582.00	1300.00	5000.00	**13464.00**
12	मध्य प्रदेश	5000.00	7942.00	6690.00	4560.00	5500.00	**29692.00**
13	महाराष्ट्र	5000.00	1058.00	6109.00	2311.00	1800.00	**16278.00**
14	उड़ीसा	0.00	2250.00	3569.00	0.00		**5819.00**
15	पंजाब	5000.00	2647.00	3978.00	1647.60	1650.00	**14922.60**
16	राजस्थान	1734.00	1741.00	6421.00	2990.00	4150.00	**17036.00**
17	तमिलनाडु	0.00	609.00	3871.00	1817.00	3566.00	**9863.00**
18	तेलंगाना	0.00	1000.00	565.00	1600.00		**3165.00**
19	उत्तराखंड	2500.00	2202.00	2850.00	586.00	8000.00	**16138.00**
20	उत्तर प्रदेश	7500.00	12806.00	16966.00	11100.00	21900.00	**70272.00**
21	पश्चिमी बंगाल	1734.00	3522.00	6143.00	3107.00		**14506.00**
	कुल (क)	**52758.00**	**58119.00**	**82300.00**	**47760.00**	**55186.00**	**240937.00**
	एनईआर						
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	269.00	500.00	409.00	**1178.00**
2	असम	2000.00	3209.00	3654.00	2500.00	2740.00	**14103.00**
3	मणिपुर	0.00	887.00	966.00	500.00		**2353.00**
4	मेघालय	863.00	1482.00	2285.00	771.00	2802.00	**8203.00**
5	मिजोरम	2000.00	594.00	524.00	500.00	950.00	**4568.00**
6	नागालैंड	2000.00	321.00	342.00	500.00	1327.00	**4490.00**
7	सिक्किम	0.00	257.00	278.00	295.00		**830.00**
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	1882.00	774.00		**2656.00**
	कुल (ख)	**6863.00**	**6750.00**	**10200.00**	**6340.00**	**8228.00**	**30153.00**
	संघ राज्य क्षेत्रों						
1	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	131.00	16.79	35.36	0.00	**183.15**
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
5	दिल्ली	2500.00		4852.21	4500.00	3000.00	**14852.21**
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
7	पुडुचेरी	0.00	0.00	331.00	0.00		**331.00**
8	जम्मू - कश्मीर	0.00	0.00	500.00	664.64	2000.00	**3164.64**
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00		**0.00**
	कुल (ग)	**2500.00**	**131.00**	**5700.00**	**5200.00**	**5000.00**	**13531.00**
कुल योग (क+ख+ग)		**62121.00**	**65000.00**	**98200.00**	**59300.00**	**68414.00**	**353035.00**

उपाबंध-2

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 जिसका उत्तर 07.04.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्र. सं.	राज्य	वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के लिए उपयोग की गई निधियां					
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	1000.00	2000.00	746.00	0.00	**3746.00**
2	बिहार	4290.00	6204.00	4758.19	0.00	0.00	**15252.19**
3	छत्तीसगढ	0.00	1968.00	1983.00	0.00	0.00	**3951.00**
4	गोवा	0.00	315.00	406.00	380.00	320.00	**1421.00**
5	गुजरात	5000.00	1502.00	1649.00	0.00	0.00	**8151.00**
6	हरियाणा	1500.00	1191.00	1406.00	0.00	0.00	**4097.00**
7	हिमाचल प्रदेश	0.00	408.00	145.24	0.00	0.00	**553.24**
8	जम्मू और कश्मीर	1000.00	1901.00	1000.00	0.00	0.00	**3901.00**
9	झारखंड	5000.00	959.00	1374.00	905.00	0.00	**8238.00**
10	कर्नाटक	5000.00	3812.00	4404.00	0.00	0.00	**13216.00**
11	केरल	2500.00	3082.00	1582.00	1300.00	0.00	**8464.00**
12	मध्य प्रदेश	5000.00	7942.00	6690.00	0.00	0.00	**19632.00**
13	महाराष्ट्र	5000.00	1058.00	6109.00	2311.00	1557.50	**16035.50**
14	उड़ीसा	0.00	2250.00	1241.00	0.00	0.00	**3491.00**
15	पंजाब	5000.00	2647.00	3978.00	1647.60	1650.00	**14922.60**
16	राजस्थान	1734.00	1741.00	6421.00	1320.64	0.00	**11216.64**
17	तमिलनाडु	0.00	609.00	3871.00	1817.00	0.00	**6297.00**
18	तेलंगाना	0.00	1000.00	565.00	1400.00	0.00	**2965.00**
19	उत्तराखंड	2500.00	2154.86	2841.11	0.00	0.00	**7495.97**
20	उत्तर प्रदेश	7500.00	12806.00	16966.00	11100.00	11850.00	**60222.00**
21	पश्चिम बंगाल	1734.00	3522.00	5476.57	0.00	0.00	**10732.57**
	कुल (क)	**52758.00**	**58071.86**	**74866.11**	**22927.24**	**15377.50**	**224000.71**
	एनईआर						
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	269.00	500.00	93.14	**862.14**
2	असम	2000.00	3209.00	3654.00	2500.00	0.00	**11363.00**
3	मणिपुर	0.00	887.00	400.01	268.09	0.00	**1555.10**
4	मेघालय	863.00	1482.00	2285.00	771.00	1150.00	**6551.00**
5	मिजोरम	2000.00	594.00	524.00	500.00	450.00	**4068.00**
6	नागालैंड	2000.00	321.00	342.00	500.00	0.00	**3163.00**
7	सिक्किम	0.00	257.00	77.92	0.00	0.00	**334.92**
8	त्रिपुरा	0.00	0.00	885.39	0.00	0.00	**885.39**
	कुल (ख)	**6863.00**	**6750.00**	**8437.32**	**5039.09**	**1693.14**	**28782.55**
	संघ राज्य क्षेत्रों						
1	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	131.00	16.79	35.36	0.00	**183.15**
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
3	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
5	दिल्ली	2500.00		4852.21	4500.00	1464.00	**10816.21**
6	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
7	पुडुचेरी	0.00	0.00	292.01	0.00	0.00	**292.01**
8	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	500.00	487.49	0.00	**987.49**
9	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	कुल (ग)	**2500.00**	**131.00**	**5661.01**	**5022.85**	**1464.00**	**12278.86**
	कुल योग (क+ख+ग)	**62121.00**	**64952.86**	**88964.44**	**32989.18**	**18534.64**	**267562.12**

उपाबंध-3

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 जिसका उत्तर 07.04.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्रं. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	किराए के भवन में न्यायालय हॉल की संख्या
1	अंदमान और निकोबार	0
2	आंध्र प्रदेश	71
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	15
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	8
8	दादरा और नागर हवेली	0
9	दमण और दीव	0
10	दिल्ली	0
11	गोवा	8
12	गुजरात	33
13	हरियाणा	2
14	हिमाचल प्रदेश	0
15	जम्मू और कश्मीर	7
16	झारखंड	0
17	कर्नाटक	18
18	केरल	46
19	लद्दाख	1
20	लक्ष्यद्वीप	0
21	मध्यप्रदेश	2
22	महाराष्ट्र	87
23	मणिपुर	0
24	मेघालय	3
25	मिजोरम	0
26	नागालैंड	0
27	उडीसा	1
28	पुडुचेरी	0
29	पंजाब	2
30	राज्स्थान	40
31	सिक्किम	1
32	तमिलनाडु	86
33	तेलंगाना	76
34	त्रिपुरा	0
35	उत्तरप्रदेश	35
36	उत्तराखंड	3
37	पश्चिम बंगाल	31
	कुल	**578**

उपाबंध-4

राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4101 जिसका उत्तर 07.04.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (ड) के उत्तर के लिए निर्दिष्ट विवरण।

क्रं. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	1.04.2017 से 31.03.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पूर्ण किए गए न्यायालय हॉल की संख्या	1.04.2017 से 31.03.2022 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पूर्ण की गई आवासीय ईकाइयों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार	2	0
2	आंध्र प्रदेश	11	4
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1
4	असम	72	114
5	बिहार	171	113
6	चंडीगढ़	0	0
7	छत्तीसगढ	55	33
8	दादरा और नागर हवेली	1	0
9	दमन और दीव	0	0
10	दिल्ली	162	70
11	गोवा	42	23
12	गुजरात	86	40
13	हरियाणा	296	328
14	हिमाचल प्रदेश	3	0
15	जम्मू - कश्मीर	6	6
16	झारखंड	40	1
17	कर्नाटक	389	136
18	केरल	76	0
19	लद्दाख	0	0
20	लक्ष्यद्वीप	0	0
21	मध्यप्रदेश	263	285
22	महाराष्ट्र	747	864
23	मणिपुर	0	1
24	मेघालय	17	0
25	मिजोरम	0	4
26	नागालैंड	14	3
27	उडीसा	312	336
28	पुडुचेरी	16	6
29	पंजाब	314	507
30	राजस्थान	178	53
31	सिक्किम	9	6
32	तमिलनाडु	181	115
33	तेलंगाना	40	3
34	त्रिपुरा	10	0
35	उत्तरप्रदेश	197	106
36	उत्तराखंड	11	9
37	पश्चिमी बंगाल	132	115
कुल		**3853**	**3282**

****